

वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी, 2019-माघ 26, शके 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

MADHUR HOMES PRIVATE LIMITED

507, M.G. ROAD, INDORE

IN THE MATTER OF COMPANIES ACT, 2013

AND

IN THE MATTER OF MADHUR HOMES PRIVATE LIMITED

V/S

REGISTRAR OF COMPANIES, GWALIOR

In the matter of Companies- Appeal No. 261/252(3)/NCLT/AHM/2018 regarding restoration of the name of the company under section 252(3) of the companies Act, 2013.

Notice is hereby given that the Hon'ble NCLT of Gujrat wide order dated 10-07-2018 passed in Company Appeal No.261/252(3)-NCLT/AHM/2018 directed for restoration of the above named company namely MADHUR HOMES PRIVATE LIMITED (CIN-U45201MP2000PTC014300) in the registrar of Companies maintained by the office of registrar of companies, Gwalior (M.P.) As per the said order of the Hon'ble NCLT of Gujrat at Ahemdabad, the named of the company is hereby restored as MADHUR HOMES PRIVATE LIMITED (CIN-U45201MP2000PTC014300) in the register maintained by the office of registrar of companies, Gwalior (M. P.).

Date : 17-07-2018

FOR —And On Behalf Of The Application,

Place: Indore.

REKHA THADANI.

(916-B.)

DIN-02563915

अन्य सूचनाएं नाम परिवर्तन

मेरा विवाह के पहले मैं, मनू पाण्डेय नाम से जानी जाती थी अब मैं, वर्तमान में मनोरमा पाण्डेय नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी।

पुराना नाम :

नया नाम :

(मनू पाण्डेय)

(मनोरमा पाण्डेय)

(906-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम ओमप्रकाश मंडोरा पिता शंकरलाल मंडोरा था, मैंने दिनांक 22 जनवरी, 2019 को पब्लिक नोटरी श्री महेन्द्र कुमार जैन, उज्जैन के समक्ष किये गए शपथ-पत्र के द्वारा मेरा नाम ओमप्रकाश मंडोरा पिता शंकरलाल मंडोरा से परिवर्तन कर जितेन्द्र मंडोरा पिता शंकरलाल मंडोरा कर लिया है। ओमप्रकाश मंडोरा और जितेन्द्र मंडोरा एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अब मुझे भविष्य में सभी संदर्भों और उद्देश्यों के लिये जितेन्द्र मंडोरा पिता शंकरलाल मंडोरा के नाम से जाना जावे।

पुराना नाम :
(ओमप्रकाश मंडोरा)
 पिता-शंकरलाल मंडोरा.

नया नाम :
(जितेन्द्र मंडोरा)
 पिता-शंकरलाल मंडोरा,
 पता-मकान नं. 9, गांधी गली नं. 2,
 महिदपुर सिटी, जिला उज्जैन (म.प्र.) 456443.

(905-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, गब्बू डावर पिता राजाराम डावर, जन्म 27-08-1987, निवासी 234/3, सर्वहारा नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश अपना नाम बदलकर गीतेश कुमार डावर रख लिया है। भविष्य में इसी नाम से जाना जाए।

पुराना नाम :
(गब्बू डावर)

नया नाम :
(गीतेश कुमार डावर)
(GITESH KUMAR DAWAR)
 तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.).

(907-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, अश्वन पाटिलकर पुत्र श्री हीरालाल पाटिलकर, निवासी 80-ए, रजत विहार कॉलोनी, भोपाल, घोषित करता हूँ कि आज के बाद मुझे अश्वन पाटिल पुत्र श्री हीरालाल पाटिलकर के नाम से जाना व पहचाना जाये।

पुराना नाम :
(अश्वन पाटिलकर)

नया नाम :
(अश्वन पाटिल)

(908-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्वविदित है कि मैं, राजेन्द्र प्रसाद वर्मा शपथ करता हूँ कि पूर्व में मैं अपना नाम राजेन्द्र प्रसाद लिखता था। अतः अब मैं अपना नाम राजेन्द्र प्रसाद वर्मा लिखता हूँ और मेरे सभी कागजात भी इसी नाम से हैं। अतः अब भविष्य में मुझे इसी नाम (राजेन्द्र प्रसाद वर्मा) से जाना एवं पढ़ा जावे। समस्त सूचित हों।

पुराना नाम :
(राजेन्द्र प्रसाद)

नया नाम :
(राजेन्द्र प्रसाद वर्मा)
 पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण वर्मा,
 निवासी-डी-55, आदित्यपुरम, दीनदयाल नगर के सामने,
 ग्वालियर (म.प्र.) पिन-474020.

(909-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, रश्मि शुभश्री, निवासी 70, श्री कृष्ण हाउसिंग सोसायटी, शुभविला, चूना-भट्टी कोलार रोड, भोपाल सूचित करती हूँ कि पहले मेरा नाम रश्मि तिवारी था। अब मैंने अपना नाम बदलकर रश्मि शुभश्री कर लिया है। अतः भविष्य में मुझे रश्मि शुभश्री के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :
(रश्मि तिवारी)

नया नाम :
(रश्मि शुभश्री)
 70, श्री कृष्ण हाउसिंग सोसायटी, शुभविला,
 चूना-भट्टी कोलार रोड, भोपाल।

(910-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम शिखा सिंह धनेलिया पत्नी श्री नंदकिशोर धनेलिया था. अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर शकुन्तला धनेलिया पत्नी श्री नंदकिशोर धनेलिया कर लिया है. मेरे सारे दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पेनकार्ड एवं मेरा बैंक खाता शकुन्तला धनेलिया के नाम से है. भविष्य में मैं, शकुन्तला धनेलिया पत्नी श्री नंदकिशोर धनेलिया के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(शिखा सिंह धनेलिया)

(911-बी.)

नया नाम :

(शकुन्तला धनेलिया)

पत्नी श्री नंद किशोर धनेलिया,
फर्शवाली गली उटार खाना, माधोगंज,
लश्कर, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को मैं, अमान उल्लाह पुत्र श्री डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव, निवासी-जी-21, ब्लॉक नं. 2, सुनहरी बाग, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल, पिनकोड-462003 द्वारा सूचित करता हूँ कि मैंने अपना पूर्व कुलनाम पुलकित श्रीवास्तव का उपयोग पूर्णतः त्याग दिया है, छोड़ दिया है उसका परित्याग कर दिया है. उसके स्थान पर मैंने कुलनाम मो. अमान उल्लाह अंगीकार कर लिया है. आज के पश्चात् मुझे मो. अमान उल्लाह के नाम से ही पुकारा जाये, जाना जाये, पहचाना जाये, ना कि मेरे पूर्व कुलनाम पुलकित श्रीवास्तव से.

मैं, समस्त व्यक्तियों, अभिव्यक्त रूप से प्राधिकृत करता हूँ तथा निवेदन करता हूँ कि मुझे अंगीकृत नाम मो. अमान उल्लाह से पुकारा जाये.

पुराना नाम :

(पुलकित श्रीवास्तव)

(912-बी.)

नया नाम :

(मोहम्मद अमान उल्लाह)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी भारतीय जीवन बीमा निगम की एक पॉलिसी प्लॉन 113-26, क्रमांक 200663173 है. जिसमें मेरा नाम कु. आयुषी शर्मा अंकित कराया गया था. जबकि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कु. वान्या शर्मा अंकित किया जाता है तथा मैं, वान्या शर्मा के नाम से ही जानी एवं पहचानी जाती हूँ. अतएव मेरे हित में उपरोक्त पॉलिसी में जहां मेरा नाम आयुषी शर्मा लिखा गया है, उसके स्थान पर मेरा वर्तमान नाम कु. वान्या शर्मा अंकित किया जावे.

पुराना नाम :

(कु. आयुषी शर्मा)

(913-बी.)

नया नाम :

(कु. वान्या शर्मा)

पुत्री श्री अजीत शर्मा,
निवासी-लक्कड़खाना,
हाल निवासी-गजानन अपार्टमेन्ट,
लश्कर, ग्वालियर.

उप-नाम परिवर्तन

मैं, विनोद वैध सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम विनोद वैध है जबकि गलती से मेरी पत्नी एवं बच्चों के प्रमाण-पत्रों में मेरा नाम विनोद शर्मा अंकित हो गया है वर्तमान में मैं, विनोद वैध के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा विनोद वैध एवं विनोद शर्मा एक ही व्यक्ति के नाम है और मैं भविष्य में भी इसी नाम विनोद वैध के नाम से ही जाना, पहचाना, एवं पुकारा जाऊंगा तथा हस्ताक्षर करता रहूँगा. अतः मेरी पत्नी एवं मेरे बच्चों के प्रमाण-पत्रों में एवं सभी शासकीय/अद्वैतशासकीय कार्यालयों में भी मेरा नाम विनोद शर्मा एवं विनोद वैध एक समान ही मान्य किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(विनोद शर्मा)

(920-बी.)

नया नाम :

(विनोद वैध)

सुभाष गंज डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ दस्तावेजों जैसे बैंक पासबुक व अन्य डॉक्यूमेंट में मेरा उपनाम लक्ष्मण पटेल लिखा हुआ है जो कि मेरा सही उपनाम नहीं है। मेरा सही नाम व उपनाम लक्ष्मण नानजी रामजीयानी (Laxman Nanji Ramjiyani) है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लक्ष्मण नानजी रामजीयानी (Laxman Nanji Ramjiyani) के नाम से जाना-पहचाना व लिखा, पढ़ा जावे।

<p>पुराना नाम :</p> <p>(लक्ष्मण पटेल)</p>	<p>नया नाम :</p> <p>(लक्ष्मण नानजी रामजीयानी)</p> <p>LAXMAN NANJI RAMJIYANI,</p> <p>निवास-1003-ए-2, मेपलवुड,</p> <p>पिपल्या कुमार निपानिया, इन्दौर (म.प्र.).</p>
--	--

(921-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि मेरा विवाह पूर्व में श्री कैलाश पुजारी के साथ सम्पन्न हुवा होने मेरा नाम सौ. शीतल कैलाश पुजारी था व मेरा यही नाम मेरे दस्तावेज आदि में दर्ज है। मेरा मेरे पूर्व पति श्री कैलाश पुजारी से विधिवत् दिनांक 28-11-2017 को विवाह विच्छेद हो जाने से व मेरा पुनर्विवाह श्री अमित अशोक खेमानी से दिनांक 20-01-2018 को हो जाने से मेरा नाम सौ. श्रीमती शीतल खेमानी पति श्री अमित खेमानी हो गया है व भविष्य में मैं इसी नाम से जानी-पहचानी व सम्बोधित की जाऊंगी।

<p>पुराना नाम :</p> <p>(शीतल कैलाश पुजारी)</p>	<p>नया नाम :</p> <p>(शीतल खेमानी)</p> <p>पति श्री अमित खेमानी,</p> <p>पता-फ्लेट नं. 13, सीता अपार्ट. साधुवासवानी,</p> <p>नगर, इन्दौर (म.प्र.).</p>
--	--

(923-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, काजल खेमचंदानी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम कु. ज्योती गुलवानी पुत्री श्री ठाकुरदास गुलवानी (JYOTI GULWANI D/o THAKURDASH GULWANI) था। मेरा विवाह हिन्दू रीति-रिवाज से दिनांक 13-05-1999 को श्री सुनील कुमार खेमचंदानी के साथ हो गया है। विवाह उपरांत मेरा नाम श्रीमती काजल खेमचंदानी पत्नी श्री सुनील खेमचंदानी (SMT. KAJAL KHEMCHANDANI W/O SUNIL KUMAR KHEMCHANDANI) हो गया तथा वर्तमान में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है। अतः मेरे सभी दस्तावेजों में यही नाम पढ़ा जाये।

<p>पुराना नाम :</p> <p>(ज्योती गुलवानी)</p>	<p>नया नाम :</p> <p>(काजल खेमचंदानी)</p> <p>673, टेगोर वार्ड, गांधी नगर,</p> <p>हुजूर (म.प्र.).</p>
---	---

(924-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मेरा पुराना नाम रितु गोंधवानिया आत्मज श्री रमेशचन्द्र गोंधवानिया था। जो अब बदलकर नया नाम रितु जायसवाल (RITU JAISWAL) कर लिया है। अब आगे मुझे इसी नये नाम से जाना-पहचाना जाये।

<p>पुराना नाम :</p> <p>(रितु गोंधवानिया)</p>	<p>नया नाम :</p> <p>(रितु जायसवाल)</p> <p>(RITU JAISWAL)</p> <p>72, चित्रगुप्त नगर कोटा, सुल्तानाबाद,</p> <p>भोपाल (म.प्र.).</p>
--	--

(926-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मेरा पुराना नाम हितेश गोंधवानिया आत्मज श्री रमेशचन्द्र गोंधवानिया था जो कि अब बदलकर हितेश जायसवाल (HITESH JAISWAL) कर लिया है। मैं, सरनेम जायसवाल लिखने लगा हूँ अब आगे मुझे इसी नये नाम से जाना-पहचाना जाये।

पुराना नाम :

(हितेश गोंधवानिया)

नया नाम :

(हितेश जायसवाल)

(HITESH JAISWAL)

सी-306, नंदी हिल्स अपार्टमेंट,
लालघाटी, भोपाल (म.प्र.).

(927-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम उषा प्रभाकर जोशी था। शादी के बाद माधवी माधव डाकवाले हो गया है। अतः मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(उषा प्रभाकर जोशी)

नया नाम :

(माधवी माधव डाकवाले)

W/o माधव डाकवाले,
174-सी, राजेन्द्र नगर इन्डौर (म.प्र.).

(928-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे शपथ ग्राहीता को मणीन्द्र कुमार तिवारी पिता सुरेन्द्र कुमार तिवारी के नाम से जाना जाता था। अब नाम बदलकर मुझे शपथग्राहिता ने अपना नाम मणीन्द्र तिवारी पिता सुरेन्द्र कुमार तिवारी रख लिया है व मेरे अन्य समस्त नवीन दस्तावेजों में भी मेरा नाम इस अनुसार रहेगा। मैं, शपथ पूर्वक कथन करता हूँ अब मुझे मणीन्द्र तिवारी पिता सुरेन्द्र कुमार तिवारी के नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(मणीन्द्र कुमार तिवारी)

नया नाम :

(मणीन्द्र तिवारी)

पिता-सुरेन्द्र कुमार तिवारी,
122, स्टेशन रोड, रत्लाम।

(929-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स राजावत स्टोन इण्डस्ट्रीज दिनांक 01-12-2010 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/02/00200/10, जिसे दिनांक 14-12-2017 को संशोधित किया जा चुका है। अब पुनः संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 01-01-2019 से इस प्रकार है श्री भानू प्रताप सिंह कुशवाह पुत्र श्री शमशेर सिंह कुशवाह 38 वर्ष, अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर फर्म से हट रहे हैं। श्री भानू प्रताप सिंह कुशवाह जी का हिस्सा शेष समस्त साझेदारों में बराबर - बराबर बांट दिया गया है। फर्म का पंजीकृत पता 1 पंचवटी कॉलोनी, ए.बी.रोड, बहोड़ापुर, ग्वालियर 474012 (म.प्र.) हो गया है। आम आदमी को सूचित हो।

मेरा राजावत स्टोन इण्डस्ट्रीज,
दीपक जैन,
(भागीदार)।

पंचवटी कॉलोनी, बहोड़ापुर ग्वालियर।

(914-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to publicly notify that Partnership firm M/s Goyal Stone Industries at Plot No.-1-B, Industrial Area Banmore, Dist. Morena (M.P.) 476001, Partner Mr. Manoj Kumar Goyal S/o Late Shri Bablu Lal Goyal and Mr. Pramod Goyal S/o Shri Ramesh Chand Goyal has been retired from 01-10-2018, Remaining Partners

i.e. Mr. Jitendra Kumar Goyal S/o Shri Vishnu Swaroop Goyal and Mr. Devendra Kumar Goyal S/o Shri Vishnu Swaroop Goyal carry on the business namely M/s Goyal Stone Industries at Plot No. 1-B, Industrial Area Banmore, Dist. Morena (M.P.) 476001.

For-M/s Goyal Stone Industries
DEVENDRA KUMAR GOYAL,
(Partner)

(915-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स राधा इंटरप्राइजेस एक पार्टनरशिप फर्म है. जो कि मेघनगर के इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट क्रमांक 180-ए पर स्थित है. जिसकी स्थापना 1 जुलाई 2012 में हुई थी. तब इसमें तीन पार्टनर थे, जिनके नाम क्रमांक (1) श्री विकास गुप्ता पिता श्री मधुवन गुप्ता (2) श्री राजेश प्रजापति पिता श्री सरवन कुमार प्रजापति (3) श्री अमित द्विवेदी पिता श्री श्याम सुंदर द्विवेदी. जिसमें से दो पार्टनर दिनांक 7 मार्च 2018 को श्री विकास गुप्ता एवं श्री राजेश प्रजापति जी फर्म से बाहर जा रहे हैं. एक नयी पार्टनर श्रीमती शुभा द्विवेदी पति अमित द्विवेदी फर्म में आ रही हैं. इस प्रकाशन पर किसी को भी कोई आपत्ति हो तो कृपया प्रकाशन के सात दिन के भीतर दर्ज करायें.

फर्म—राधा इंटरप्राइजेस,
अमित द्विवेदी,
(भागीदार).

180-ए, एकेवीन इंडस्ट्रियल एरिया मेघनगर,
जिला-झाबुआ (म.प्र.) 457779.

(917-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स स्पेश वल्ड जो 35, इंदिरा प्रेस परिसर, भोपाल में स्थित है जिसका पंजीयन क्र. 69, दिनांक 17-09-2001 है. जिसमें दिनांक 01-04-2016 को भागीदार श्री राधेश्याम जी पलोड़ पुत्र स्व. श्री मगनलाल जी पलोड़, निवासी साकेत हास्पिटल रोड़, विदिशा म.प्र. अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. आमजन सर्वजन सूचित हो.

फर्म—मेसर्स स्पेश वल्ड,
अशोक पलोड़,
(भागीदार).

35, इंदिरा प्रेस परिसर, भोपाल.

(918-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जैतल कंस्ट्रक्शन जो काटेज 01 दाल बाजार लश्कर ग्वालियर में स्थित है जिसका पंजीयन क्र. 150, दिनांक 01-11-2012 है, जिसमें दिनांक 16-05-2017 को भागीदार श्री मनोज पाण्डे पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप पाण्डे, निवासी एफ-159, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. एवं इसी दिनांक 16-05-2017 से श्री प्रमोद दुवे पुत्र स्व. श्री मुन्नालाल दुवे, निवासी 235, हरिशंकरपुरम, ग्वालियर फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं आमजन सर्वजन सूचित हों.

फर्म—मेसर्स जैतल कंस्ट्रक्शन,
बीरेन्द्र कुमार गुप्ता,
(भागीदार).

काटेज 01, दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(919-बी.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given for public information that Smt. Premlata Agrawal W/o Shri Mohanlal Agrawal & Smt. Natasha Agrawal W/o Shri Ashish Agrawal has been admitted as partners in the partnership business

of the firm named M/s Omprakash Harakchand Mittal, 7/3, Narsingh Bazar, Indore (M.P.) as partner *vide* Reg. No. 03/27/03/00007/06, Dated 02-05-2006 year 2006-07 as from 01/01/2017 and the constitution of the firm stands altered accordingly.

For: M/s Omprakash Harakchand Mittal,
Girish Agrawal,
(Partner)

(886-B.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगोन

रा.प्र.क्र.0001/बी-113(1)/2018-19.

मण्डलेश्वर, दिनांक 18 जनवरी, 2019

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री गोपाल सिंह महंत पिता बापुसिंह महंत सहस्त्रार्जुन मार्ग महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश न्यास के संस्थापक एवं प्रबंधक न्यासी द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है।

अतः मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 15 फरवरी, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा उक्त मामले की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ।

उक्त आवेदन-पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. न्यास का नाम | : | सकल पंच राजपुत समाज ट्रस्ट महेश्वर,
तहसील महेश्वर, जिला खरगोन (म.प्र.). |
| 2. न्यास का पता | : | महात्मा गांधी मार्ग गली नं. 04, राजपुत महोल्ला महेश्वर,
तहसील महेश्वर, जिला खरगोन (म.प्र.). |
| 3. चल सम्पत्ति | : | 1,32,000/- रुपये नगद हैं। |
| 4. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |

यह सूचना आज दिनांक 18 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई।

आनंदसिंह राजावत,

(109)

अनुबिभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक।

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, संयोगितागंज क्षेत्र, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक श्री बनवारीलाल गिर प्रसाद गर्ग पारमार्थिक ट्रस्ट, पता 44, टेलीफोन नगर, इन्दौर तर्फे न्यासधारी श्री बनवारीलाल गर्ग पिता गिर प्रसाद गर्ग, पता 44, टेलीफोन नगर, इन्दौर द्वारा श्री बनवारीलाल गिर प्रसाद गर्ग पारमार्थिक ट्रस्ट का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त दावों/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“श्री बनवारीलाल गिर प्रसाद गर्ग पारमार्थिक ट्रस्ट,”
पता	:	44, टेलीफोन नगर, इन्दौर.
चल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति रूपये 2,100/- (अक्षरी दो हजार एक सौ मात्र) है।
अचल संपत्ति	:	निरंक है।

आज दिनांक मार्च, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

राकेश शर्मा,
पंजीयक।

(110)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुभाग राऊ, इन्दौर, जिला इन्दौर

क्र./ /रो.राऊ/ट्रस्ट/2018-19.

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (30) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक सुभाषचन्द्र जैन पिता स्व. रतनलालजी जैन द्वारा सामरिया सार्वजनिक चेरिटेबल ट्रस्ट, पता-5/13, रत्नक, संस्कृति पार्क रेस कोर्स रोड, इन्दौर (म.प्र.) के पंजीयन हेतु फार्म-4(2) के तहत् निर्धारित प्रारूप में आवेदन-पत्र, ट्रस्ट डीड चालान की प्रति एवं निर्धारित शुल्क रूपये 5/- का चालान क्र. MPT007003102018000369, दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 की फोटोकॉपी के प्रस्तुत किया गया है। न्यास की चल सम्पत्ति में रूपये 21,000/- है तथा न्यास की अचल सम्पत्ति निरंक है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	सामरिया सार्वजनिक चेरिटेबल ट्रस्ट”
पता	:	कार्यालय पता-5/13, रत्नक, संस्कृति पार्क रेस कोर्स रोड, इन्दौर (म.प्र.).
चल संपत्ति	:	1. रूपये 21000 (अक्षरी रूपये इक्कीस हजार मात्र).
अचल संपत्ति	:	2. निरंक

आज दिनांक 30 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

रवि कुमार सिंह
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी।

(122)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड, पब्लिक ट्रस्ट, रा. परि. टी. टी. नगर, भोपाल
प्र.क्र. 136/बी-121/2017-18.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि (बिसारिया फाउण्डेशन चेरिटेबिल ट्रस्ट) द्वारा डॉ. आर. के. बिसारिया ट्रस्टी, निवासी-एचआईजी-4, होशंगाबाद रोड, शिवाजीनगर, तहसील हुजूर, जिला-भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्ट में अतिरिक्त ट्रस्टी डॉ. श्रीमती रीना कानूनगो का नाम जोड़े जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 12 फरवरी, 2019 को विचार किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा।

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | बिसारिया फाउण्डेशन चेरिटेबिल ट्रस्ट। |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निल। |
| 3. चल सम्पत्ति | : | निल। |

आज दिनांक 30 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

संजय कुमार श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार।

(123)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला रत्लाम

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल के आदेश क्रमांक/निर्वाचन-2/स्वप्रेरणा/2018/5803, भोपाल दिनांक 23 जून, 2018 महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बायड़ी रत्लाम का निर्वाचन अधिकारी श्री आर. के. भट्ट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को नियुक्त किया गया था। निर्वाचन अधिकारी एवं प्रशासक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर संस्था निर्वाचन नहीं करवाने एवं अकार्यशील होने बाबद प्रतिवेदित किया गया है। जिसके परिपालन में संस्था को कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता (अंकेक्षक) रत्लाम से प्राप्त जानकारी अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बायड़ी रत्लाम अकार्यशील स्थिति में होने से “द” वर्ग प्रदाय किया गया। इसी वर्ग के आधार पर संस्था के अकार्यशील होने के कारण संस्था को परिसमापनाधीन लाया जाना उचित होता है। मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5-1-99-पन्द्रह-1-सी दिनांक 26-07-1999 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश भोपाल की उप रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, रत्लाम को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बायड़ी रत्लाम, जिला रत्लाम (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1049, दिनांक 22-09-2017 को धारा-69 के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त सुनवाई के अवसर प्रदान करती हूँ कि सोसायटी अकार्यशील होने के कारण क्यों न सोसायटी का परिसमापन कर दिया जायें।

यदि सोसायटी इस कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहें, तो वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मुझे प्रेषित कर सकते हैं या समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

सूचना-पत्र में उल्लेखित कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवधि तक सोसायटी की ओर से कोई अभ्यावेदन या सुनवाई के लिए उपस्थित न होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर सोसायटी के परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 21 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया है।

आर. के. भट्ट,
वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

(106)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/43.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/2488, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 के द्वारा जय बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुहारी जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2054, दिनांक 16 नवम्बर, 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी.एम.सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय बजरंग बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुहारी जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2054 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(111)

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/44.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/2487, दिनांक 7 अक्टूबर, 2015 के द्वारा विनायक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुकरमुका जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2096, दिनांक 21 फरवरी, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी.एम.सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनायक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुकरमुका जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2096 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(112)

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/45.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/1465, दिनांक 27 जून, 2015 के द्वारा सदगुरु बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विनेकी जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2087, दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी.एम.सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण)

सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी.पी.प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सद्गुरु बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विनेकी जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2087 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(113)

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/46.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/348, दिनांक 11 फरवरी, 2016 के द्वारा मां नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुहारी कंटगी जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2123 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी.एम.सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मां नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लुहारी कंटगी जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2123 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(114)

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/47.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/1829, दिनांक 20 जुलाई, 2015 के द्वारा श्री सार्व बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरौदाखेड़ी जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2115 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री बी.एम.सोनी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सार्व बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरौदाखेड़ी जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2115 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 10 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(115)

जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/84.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/466, दिनांक 17 फरवरी, 2016 के द्वारा अमर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1151 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्रीमती इंद्रा ताम्रकार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1151 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(116)

जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/85.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/1354, दिनांक 13 जून, 2017 के द्वारा शमा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1209 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री के.के.तिवारी, उप अंकेक्षण द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शमा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., जबलपुर जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1209 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(117)

जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/86.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/830, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा स्वरोजगार प्लास्टिक उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 516 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्रीमती इंद्रा ताम्रकार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वरोजगार प्लास्टिक उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 516 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(118)

जबलपुर, दिनांक 22 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि/2019/87.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/824, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा अनु. जाति अनु. जनजाति कल्याण खनिज उद्योग सहकारी समिति मर्या., मोहनिया जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 05/97 एच को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्रीमती इंद्रा ताम्रकार, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनु. जाति अनु. जनजाति कल्याण खनिज उद्योग सहकारी समिति मर्या., मोहनिया जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 05/97 एच का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 22 जनवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

जी.पी.प्रजापति,
सहायक पंजीयक।

(119)

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर

सीहोर, दिनांक 10 जनवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अंतर्गत]

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., भादाकुर्ई से पुनर्गठित कर नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., छिदगाँवमौजी के पंजीयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर के पत्र क्रमांक फील्ड/34/2015/440, दिनांक 12 मई, 2015 द्वारा परिशिष्ट अ, ब, स में निर्धारित जानकारी एवं संस्था का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त जानकारी आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/विधि/2015/743, दिनांक 06 अगस्त, 2015, क्रमांक/विधि/2016/969, दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 एवं क्रमांक/पंजी./2017/1364, दिनांक 18 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रस्तावित नवीन संस्था छिदगाँवमौजी के गठन कर पंजीयन की स्वीकृति बावत प्रस्ताव भेजा गया। आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक/साख/विधि/2017/3340, दिनांक 26 सितम्बर, 2017 द्वारा ग्राम छिदगाँवमौजी, तहसील नसरुल्लागंज में नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था के पंजीयन किये जाने की अनुमति दी गई।

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/पंजीयन/2017/1510, दिनांक 25 अक्टूबर, 2017 एवं क्रमांक/पंजीयन/2018/599, दिनांक 19 अप्रैल, 2018 द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., भादाकुर्ई को पुनर्गठित कर परिणामतः प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., छिदगाँवमौजी के गठन हेतु वित्तदायी बैंक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या., सीहोर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., भादाकुर्ई को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., भादाकुर्ई द्वारा दिनांक 17 नवम्बर, 2017 को अपने सदस्यों की आमसभा कर संस्था विभाजन को स्वीकार किया गया। परित प्रस्ताव अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., भादाकुर्ई, में ग्राम-भादाकुर्ई, गुलरपुरा, झिरन्या, पॉचोर, लाचोर, टीकामोड़, बावडीखेड़ा, रत्नपुर, पलासपानी, मांगरोल, मरियाडो, सिराली, सुनेड एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., छिदगाँवमौजी में ग्राम:-छिदगाँवमौजी, बाईसाद, धन्नास, खरसानिया पलासीकलौ, जोगला, बीजला, भीमगाँव को कार्यक्षेत्र में लेकर पुनर्गठन किये जाने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।

चूंकि संस्था का पुनर्गठन सदस्यों के हितों पर असर करता है इसलिए अधिनियम की धारा-16 (5) के अन्तर्गत संस्था प्रबंधक द्वारा स्वेच्छा जाहिर करने का अवसर समस्त सदस्यों को दिया गया। कार्यालय के पत्र क्रमांक/पंजीयन/पुनर्गठन/2017/1745, दिनांक 13 दिसम्बर, 2017 द्वारा धारा-16(12) के अन्तर्गत पुनर्गठन स्कीम सर्व-साधारण की जानकारी के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र के भाग-3 में प्रकाशन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई।

चूंकि यह पुनर्गठन प्रस्ताव लोकहित में है, अतः मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-16(3) के अन्तर्गत आदेश देता हूँ कि प्रभावित समिति प्राथमिक कृषि

साख सहकारी संस्था मर्या., भादाकुई, एवं परिणामी समिति प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., छिदगाँवमौजी निम्नानुसार अपने आप को पुनर्गठित करें:-

प्रभावित संस्था	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., भादाकुई, पंजीयन क्रमांक 1619, दिनांक 10-06-1950	भादाकुई	भादाकुई, गुलरपुरा, झिरन्या, पॉचोर, लाचोर, टीकामोड, बावड़ीखेड़ा, रतनपुर, पलासपानी, मांगरोल, मरियाडो, सिराली, सुनेड.
परिणामी संस्था : प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., छिदगाँवमौजी पंजीयन क्रमांक 1929, दिनांक 10-01-2019.	छिदगाँवमौजी	छिदगाँवमौजी, बाईसाद, धन्नास, खरसानिया, पलासीकला, जोगला, बीजला, भीमगाँव.

- पुनर्गठन आधार पर अलग होने पर शासन से प्रदत्त अंशपूँजी पूर्ववर्ती प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्या., भादाकुईछिदगाँवमौजी के पास रहेगी. सदस्यों की अंशपूँजी के संबंध में निर्देश यह है कि उसे कार्यक्षेत्र के मान से विभाजित किया जावे.
- पूर्ववर्ती संस्था के पास रक्षित कोष तथा निधियों का बटवारा हस्तांतरित अंशों के अनुपात के मान से विभाजित किया जावे.
- पूर्ववर्ती संस्था मुख्यालय पर स्थाई अचल सम्पत्ति गोदाम भवन एवं भूमि हो तो उसे पूर्ववर्ती संस्था के दायित्व में ही रहने दिया जावे.
- संस्था में सचित लाभ या हानि का बटवारा अंशों के अनुपात में किया जावे.
- शासकीय तथा बैंक के ऋण का विभाजन भी वास्तविक देयता अथवा अंशों के अनुपात में किया जावे.
- पूर्ववर्ती संस्था परिणामी संस्था को आवश्यक मात्रा में फर्नीचर, स्टेशनरी प्रदाय करेगी.
- कर्मचारियों का विभाजन नियमानुसार प्रभावित संस्था के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार ही होगा.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,

उप-पंजीयक.

(120)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 16 अक्टूबर, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/1735.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1242 ए, दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 से मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., घटेरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा को परिसमापन में लाया गया था।

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था सदस्यों के हित में है।

अतः मैं, ए. के. सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., घटेरा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./204, दिनांक 26 नवम्बर, 1971 को पुनर्जीवित करता हूँ।

उपरोक्त सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन होने तक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति अस्थायी रूप से नार्मांकित की जाती है।

1. अमोल सिंह/पन्नालाल	अध्यक्ष	6. मंगल/भवरजी	संचालक
2. मंगल सिंह/सुखलाल	उपाध्यक्ष	रमेश/हरीसिंह	संचालक
3. गुमान सिंह/सोमत सिंह	संचालक	भवरी बाई/सुखाल	संचालक
4. घासीराम/कुन्दन लाल	संचालक	रामकिशन/मिट्टूलाल	संचालक
5. महराज सिंह/जवाहर सिंह	संचालक	तुलसी/हरीसिंह	संचालक

संस्था के लिए यह बाध्य कर होगा कि वह एक सप्ताह में निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत कर तीन माह के अन्दर निर्वाचन सम्पन्न करायें।

यह आदेश आज दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

ए. के. सिंह,
उप-पंजीयक.

(121)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2019.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी, 2019-माघ 26 शके 1940

भाग 3 (2)

सांख्यकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2018

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा। राज्य के निम्नांकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।—

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील मुरैना, जोरा (मुरैना), ग्वालियर, घाटीगाँव (ग्वालियर), रेहली (सागर), बटियागढ़ (दमोह), रत्लाम, रावटी (रत्लाम), महिदपुर, तराना, घटिया, बड़नगर (उज्जैन), शाजापुर (शाजापुर), सोनकच्छ, टांकखुर्द, देवस, बागली, (देवास), बदनावर, सरदारपुर, धार (धार), देपालपुर, सांवर, इन्दौर, महू, अम्बे.नगर (इन्दौर), महेश्वर (खरगौन), पुनासा, खालवा, पन्थाना (खण्डवा), बुरहानपुर, खकनार, नैपानगर (बुरहानपुर), आष्टा, नसरूल्लालांगंज, रहटी, जावर, बुधनी (सीहोर), भैंसदही, चिचौली, मुलताई, आठनेर (बैतूल), होशंगाबाद, बाबई (होशंगाबाद), छिन्दवाड़ा, परासिया, सौंसर, बिछुआ, चौरई, उमरैठ, मोहखेड़, चांद, पांदुर्ना (छिन्दवाड़ा), कुरई, केवलारी, छापरा, धनेरा, घन्सौर (सिवनी), लालबरा, विरसा (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक:- तहसील अम्बाह (मुरैना), गोहद, लहार, मिहोना (भिण्ड), डबरा, भितरवार (ग्वालियर), सेंवढा (दतिया), रेहली (सागर), बटियागढ़ (दमोह), जबा, रायपुरकुर्च (रीवा), सैलाना, जावरा, बाजना, ताल, पिप्लोदा (रत्लाम), खाचरोह, उज्जैन, नागदा (उज्जैन), सुजालपुर, कालापीपल, गुलाना (शाजापुर), उद्यनगर (देवास), पाटी (बड़वानी), गुलाबगंज (विदिशा), सीहोर, इच्छावर (सीहोर), गोहरांज (रायसेन), बैतूल, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, आमला (बैतूल), सिवनी-मालवा (होशंगाबाद), चौरई, जामई, अमरवाड़ा (छिन्दवाड़ा), सिवनी (सिवनी), बालाघाट, लांजी, किनापुर, कटगी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. तक वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(स) 35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक:- तहसील पोरसा (मुरैना), नरवर (शिवपुरी), अजयगढ़, पन्ना, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), दमोह, पथरिया, तेंदूखेड़ा (दमोह), हुजूर, त्योंथर, गुढ़, मनगावा (रीवा), विरसिंहपुर (सतना), सिंगरौली (सिंगरौली), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासोदा, नटेरन, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), चुरहट, बहरी (सीधी), मोमनबड़ोदिया (शाजापुर), श्यामपुर (सीहोर), रायसेन, बाड़ी (रायसेन), बहोरीबंद (कटनी), तामियां, हरई (छिन्दवाड़ा), बरघाट, लखनादौन (सिवनी), बैहर, तिरोड़ी, परसवाड़ा (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(द) 53.2 मि.मी. से 244.9 मि.मी. तक:- तहसील कैलारस, सबलगढ़, श्योपुर, कराहल, विजयपुर (श्योपुर), अटेर, भिण्ड, मेहांगांव (भिण्ड), दतिया, भाण्डेर (दतिया), शिवपुरी, पिछोर, खनियाधाना, करैरा, कैलारस, पोहरी, बैराड़, बदरवास (शिवपुरी), मुंगावली,

झांशगढ़, अशोकनगर, चन्द्रेरी (अशोकनगर), गुना, राधोगढ़, बमोरी, आरौन, चांचोड़ा, कुम्भराज (गुना), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, टीकमगढ़, बल्देवगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहर, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बड़ामल्हरा, बकस्वाहा (छतरपुर), बीना, खुरई, बण्डा, राहतगढ़, केशली, मालथोन, गढ़ाकोटा, सागर, जैसिंहनगर (सागर), मानपुर (सिंगरौली), जावद, नीमच, पुनासा (नीमच), हटा, जबेरा, पटेरा (दमोह), रघुराजनगर, मझगवां, रामपुरबघेलान, नागौद, उचेहरा, अमरपाटन, रामनगर, मैहर (सतना), अजयगढ़, पन्ना, गुनौर, पवई, शाहगढ़ (पन्ना), सिरमौर, मऊगंज, हनुमना, सैमरिया (रीवा), सोहागपुर, ब्योहारी, जयसिंहनगर, बुढ़ार, गोहपारू, जैतपुर (शाहडोल), जैतहरी, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़, पाली, मानपुर (उमरिया), गोपदबनास, सिंहावल, मझोली, कुशमी, रामपुरनैकिन (सीधी), देवसर, चितरंगी (सिंगरौली), आलोट (रतलाम), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासोदा, नटरन, विदिशा, ग्यारसपुर (विदिशा), गैरतगंज, बेगमगंज, बरेली, सिलवानी, उदयपुरा (रायसेन), सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी, पंचमढ़ी (होशंगाबाद), ढीमरखेड़ा, रीठी, बड़वारा, मुड़वारा, विजयराधोगढ़, बहरी (कटनी), मण्डला, नैनपुर, विछिया, निवास, नारायणगंज, घुघरी (मण्डला), डिण्डोरी, शाहपुरा, बजाग (डिण्डोरी), वारासिवनी, खैरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(च) 245.0. मि.मी. से 449.9 मि.मी. तक:- तहसील कोतमा (अनूपपुर) में उक्त मि.मी. के अंतर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है

2. जुताई :- जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, मण्डला, डिण्डोरी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. बोनी:- जिला मुरैना, शहडोल, सिंगरौली, मण्डला, डिण्डोरी में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

4. फसल स्थिति:- ..

5. कटाई :- जिला धार में खरीफ फसलों का कटाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

6. सिंचाई :- जिला छतरपुर, रीवा, शहडोल, उमरिया, नीमच, खरगौन, बड़वानी, विदिशा, बैतूल में सिंचाई हेतु पानी कम मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

7. पशुओं की स्थिति:- ..

8. चारा :- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. बीजः- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

10. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित रेट पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 12 सितम्बर, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती है। (द) खड़ी फसल पर रोप व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित。 (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामियक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर 1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. कैलारस 6. सबलगढ़	मिलीमीटर 21.0 36.0 14.0 15.0 70.0 74.0	2. जुताई व बोनी का कार्य चालू 2. जुताई ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर 1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर 4. वीरपुर 5. बडोदा	मिलीमीटर 139.6 156.5 92.6	2. जुताई कार्य चालू 3. .. 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, मूँग, उड़द, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	3. .. 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, मूँग, उड़द, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर 1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लहार 6. रैन+मिहोना 7. गोरमी 8. मौ	मिलीमीटर 74.0 59.0 30.0 75.0 30.0 28.0	2. जुताई कार्य चालू 2. जुताई कार्य चालू	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर 1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरबार 4. चीनोर 5. घाटीगांव	मिलीमीटर 13.2 19.4 18.0 .. 13.0	2. जुताई कार्य चालू	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर 1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. इन्द्रगढ़ 4. बढ़ौनी 5. भाण्डेर	मिलीमीटर 25.0 83.0 57.0	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, उड़द, तिल, धान, अधिक. मूँगफली समान. मूँग कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू	3. .. 4. (1) मूँगफली, सोयाबीन अधिक. उड़द कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	145.0				
2. पिलोर	80.0				
3. खनियाधाना	86.0				
4. नरवर	49.0				
5. करैरा	66.0				
6. कोलारस	170.0				
7. पोहरी	99.0				
8. बैराड़	112.5				
9. बद्रवास	195.0				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड़द, सोयाबीन अधिक. मक्का, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	158.0				
2. ईसागढ़	128.0				
3. अशोकनगर	168.0				
4. चन्द्रीरी	196.0				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढ़ौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूँग समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना	134.0				
2. राधोगढ़	89.0				
3. बमोरी	209.0				
4. आरोन	82.5				
5. चाचौड़ा	113.0				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	154.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) ज्वार, उड़द, मूँग, तिल अधिक. धान, सोयाबीन, मूँगफली, तुअर, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	143.0				
2. पृथ्वीपुर	139.0				
3. जतारा	89.0				
4. टीकमगढ़	89.0				
5. बल्देवगढ़	91.0				
6. पलेरा	158.0				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	156.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गौरीहार	67.0				
2. नौगांव	60.2				
3. छतरपुर	101.4				
4. राजनगर	74.6				
5. बिजावर	118.0				
6. बड़ा मलहरा	170.4				
7. लवकुशनगर	90.0				
8. बक्सरवाहा	102.8				
9. लौण्डी	..				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर 1. अजयगढ़ 208.2 2. पन्ना 163.4 3. गुन्नौर 162.0 4. पवई 168.8 5. शाहनगर 84.1 6. देवेद्रनगर .. 7. अमानगंज .. 8. सिमरिया .. 9. रैपुरा ..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
12. जिला सागर :	मिलीमीटर 1. बीना 69.6 2. खुरई 120.2 3. बण्डा 84.0 4. सागर 146.7 5. रेहली 19.0 6. देवरी 81.0 7. गढ़कोटा 79.0 8. राहतगढ़ 126.0 9. जैसी नगर 99.0 9. केसली 57.2 10. मालथोन 72.0 11. शाहगढ़ 140.0	2. वर्षा की कमी से सभी फसलों में अनु. 30% क्षति दर्ज की गई है.	3. .. 4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन, तिल, अधिक. ज्वार, मक्का, तुअर, तिल, मूँगफली, मूँग, कोंदो, आलू, प्याज कम. (2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई हैं.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर 1. हटा 78.0 2. बटियागढ़ 18.0 3. दमोह 49.0 4. पथरिया 44.0 5. जवेरा 128.0 6. तेन्दूखेड़ा 48.0 7. पटेरा 112.0	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मूँग, मक्का, ज्वार, अधिक. उड़द, धान, तुअर, कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
14. जिला सतना :	मिलीमीटर 1. रघुराजनगर 91.7 2. मझगवां 56.0 3. रामपुर-बघेलान 85.0 4. नागौद 68.9 5. उच्चहरा 186.0 6. अमरपाटन 127.0 7. रामनगर 103.0 8. मैहर 122.0 9. बिरसिंहपुर 40.0 10. कोठर ..	2. ..	3. .. 4. (1) तिल, मूँग, तुअर, ज्वार, समान. धान, उड़द, सोयाबीन, कोंदो-कुटकी कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर 1. त्यैंथर 48.0 2. सिरमौर 72.2 3. मऊगंज 65.4 4. हनुमना 74.5 5. हजूर 45.4 6. गुढ़ 51.0 7. मनगवां 47.0 8. सेमरिया 61.6 9. जवा 31.0 10. नईगढ़ी .. 11. रायपुरकर्चुलियान 31.0	2. ..	3. .. 4. (1) धान, मूँग, उड़द, सोयाबीन, ज्वार, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोलः 1. सोहगपुर 2. ब्यौहारी 3. जयसिंहनगर 4. बुढ़ार 5. गोहपारू 6. जैतपुर	मिलीमीटर 142.0 146.0 128.0 183.0 130.0 224.0	2. जुताई, बोनी चालू है. 3. .. 4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड्ड, तिल, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	3. .. 4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड्ड, तिल, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
17. जिला अनूपपुर : 1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़	मिलीमीटर 162.4 122.3 288.3 216.1	2. .. 3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, कोदों- कुटकी, उड्ड, सोयाबीन, तिल अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, कोदों- कुटकी, उड्ड, सोयाबीन, तिल अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
18. जिला उमरिया : 1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. चर्दिया 4. नौरोजाबाद 5. मानपुर	मिलीमीटर 244.5 215.2 145.2	2. .. 3. .. 4. (1) .. (2) ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
19. जिला सीधी : 1. गोपदवनास 2. सिंहावत 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. बहरी 7. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर 57.2 75.2 66.2 111.0 43.7 46.0 70.0	2. जुताई कार्य चालू है. 3. .. 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड्ड, मूँग, ज्वार, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	3. .. 4. (1) धान, तुअर, तिल, उड्ड, मूँग, ज्वार, मक्का समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
20. जिला सिंगरौली : 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सरई 4. माडा 5. सिंगरौली	मिलीमीटर 76.8 60.4 48.0	2. जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर अधिक. रामतिल कम. मक्का, ज्वार, कोदो-कुटकी, धान समान. (2) ज्वार, धान, सुधरी. शेष फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
21.*जिला मंदसौर : 1. सुवासरा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर+दलोदा 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुंधड़क्का 10. संजीत 11. कयामपुर	मिलीमीटर	2. .. 3. .. 4. (1) .. (2) ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4.(1) सोयाबीन, मूँगफली अधिक. उड्ड, मक्का, तुअर मूँग तिल, ज्वार कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जावद	64.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. नीमच	185.0				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	69.0				
23. जिला रत्लाम :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4.(1) सोयाबीन समान. मक्का, कपास कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. जावरा	26.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. आलोट	63.0				
3. सैलाना	30.0				
4. बाजना	23.0				
5. ताल	34.0				
6. रावटी	14.0				
7. पिपलोदा	23.0				
8. रत्लाम	14.0				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, उड्ड अधिक. मक्का, तुअर कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. खाचरौद	20.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	14.0				
3. तराना	10.0				
4. घटिया	17.0				
5. उज्जैन	21.0				
6. बड़नगर	4.0				
7. नागदा	22.0				
25. *जिला आगर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. ... 6. ...
1. बड़ौद	..				7. ... 8. ...
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार, तुअर, उड्ड अधिक. (2)उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. मोमनबड़ोदिया	40.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	10.2				
3. शुजालपुर	31.0				
4. कालापीपल	18.0				
5. पोलाय कलां	..				
6. गुलाना	21.0				
7. अबंतीपुर बड़ोदिया	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) मक्का, उड्ड, मूँग अधिक. ज्वार, सोयाबीन, कपास, तिल, मूँगफली कम. (2) उपरोक्त फसलें ठीक हैं।	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	10.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	3.0				
3. देवास	7.0				
4. बागली	5.0				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	26.4				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ : 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. रामा 5. झाबुआ 6. राणापुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, सोयाबीन तुअर अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
29. जिला अलीराजपुर : 1. जोकट 2. अलीराजपुर 3. कटटीबाड़ा 4. सोंडवा 5. उदयगढ़ 6. चन्द्रशेखर आ. नगर 7. भामरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, उड़द, ज्वार, कपास अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
30. जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर 5.6 2.0 6.4	2. कटाई चालू है.	3. .. 4. (1) सोयाबीन अधिक. मक्का, कपास, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त.
31. जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. हातोद 5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर 7.0 9.8 6.4 .. 9.0	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
32. जिला खरगौन : 1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेंगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगाव 9. सनावद 10. झिरन्या	मिलीमीटर .. 4.0	2. ..	3. .. 4. (1) धान, मक्का, मूँफली, कपास, तुअर अधिक, ज्वार कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
33. जिला बड़वानी : 1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजपुर 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाली 10. चाचरिया	मिलीमीटर 18.0	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास, ज्वार अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) सोयाबीन कम. धान, कपास, मूँगफली, ज्वार, मक्का, तुअर. (2) ..	5. अपर्याप्त 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				7. पर्याप्त 8. पर्याप्त
2. पुनासा	9.0				
3. खालवा	11.0				
4. पंधाना	3.2				
5. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) कपास, गन्ना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	3.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. खकनार	4.2				
3. नेपानगर	1.0				
36.*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..
1. राजगढ़	..				7. .. 8. ..
2. जीरापुर	..				
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) उड़र अधिक. सोयाबीन, धान, समान. (2) धान सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. लटेरी	75.0				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	81.0				
3. कुरवाई	118.8				
4. बासोदा	60.4				
5. नटेरन	64.0				
6. विदिशा	63.5				
7. गुलाबगंज	30.0				
8. समसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	65.0				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) मूँग, उड़र, ज्वार, मक्का, धान, समान. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. बैरसिया	25.3				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. हुजूर	28.1				
3. बैरागढ़	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2.	..	3. .. 4. (1) मक्का, उड़र अधिक. गन्ना, धान समान. सोयाबीन, ज्वार, तुअर कम. (2)उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.
1. सीहोर	18.2				7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. आष्टा	11.0				
3. इच्छावर	29.0				
4. नसरुल्लागंज	13.0				
5. रेहटी	16.0				
6. श्यामपुर	38.0				
7. जावर	3.0				
8. बुधनी	11.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2.	3. . . 4. (1) धान, मक्का, मूँगफली, ज्वार, अधिक. तुअर, मूँग समान. सोयाबीन, उड़द, गन्ना कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	42.6				
2. गैरतगंज	65.4				
3. बेगमगंज	117.0				
4. गोहरगंज	27.0				
5. बरेली	81.6				
6. सिलवानी	82.0				
7. बाड़ी	40.0				
8. सुल्तानपुर	..				
9. उदयपुरा	147.0				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) सोयाबीन, धान, मक्का अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैतूल	24.0				
2. भैंसदेही	10.0				
3. घोड़ाडोंगरी	23.0				
4. शाहपुर	19.8				
5. चिंचोली	13.7				
6. मुल्ताई	9.5				
7. आठनेर	6.4				
8. आमला	24.0				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, मक्का, सोयाबीन, मूँगफली अधिक. तुअर, उड़द, मूँग, गन्ना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	12.4				
2. सिवनी-मालवा	22.0				
3. बावई	11.0				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	62.0				
6. पिपरिया	87.6				
7. बनखेड़ी	80.8				
8. डोलरिया	..				
9. पचमढ़ी	113.0				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान, मक्का, उड़द, मूँग अधिक. सोयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. सिराली	..				
4. रेहटगांव	..				
5. हॉडिया	..				
6. टिमरनी	..				
44. *जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. जबलपुर	..				
2. कुण्डम	..				
3. सीहोरा	..				
4. पाटन	..				
5. मझौली	..				
6. शाहपुरा	..				
7. पनगर	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) धान कम. मक्का, तिल, तुअर अधिक. (2) तिल, तुअर सुधरी हुई. धान, मक्का समान.	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. बहोरीबंद	48.0				
2. ढीमरखेड़ी	89.5				
3. रीठी	157.0				
4. बड़वारा	141.0				
5. मुड़वारा (कटनी)	129.8				
6. विजयराघवगढ़	145.5				
7. बरही	157.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.*जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. नरसिंहपुर 2. गोटेगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा				
47. जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी चालू.	3. .. 4. (1) मक्का, धान, कोंदो-कुटकी, तुअर, उड़द समान. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी	61.4 65.1 86.1 124.6 70.0 116.5				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई, बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, धान, उड़द, सोयाबीन, तुअर, रामतिल, कोंदो-कुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग	127.4 108.1 74.7				
49. जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, मक्का अधिक. मूँगफली समान. सौयाबीन कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जामई 5. सोंसर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखेड 11. हरई 12. चांद 13. पांदुणा	4.0 53.0 14.4 22.0 2.0 10.0 27.4 10.8 13.0 3.8 43.8 6.2 9.2				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. कब्लारी 5. लखनादोन 6. छपारा 7. धनोरा 8. घंसोर	30.6 46.3 10.0 15.0 40.0 15.3 3.5 6.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान समान. (2) धान समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनापुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबर्ग 8. तिरोडी 9. परसवाड़ा 10. बिरसा 11. खेरलाँजी	28.2 25.2 33.8 35.0 55.4 18.5 9.0 40.0 37.4 9.0 58.3				

*जिला:- जिला मन्दसौर, आगर, राजगढ़, जबलपुर व नरसिंहपुर से पत्रक अप्राप्त है।

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(108)